उत्तर प्रदेश सरकार,
कृषि अनुभाग–4,
संख्या– 1338 / 12–4–2010–1700 / 2009टी0सी0,
लखनऊ : दिनॉक: 29 जुलाई , 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

नियम–10 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,
अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
आयु–10	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और	आयु–10	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और

	ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार के नियंत्रणाधीन किसी कृषि महाविद्यालय से वर्ष 1987 तक कृषि प्रसार में दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया हो, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने बत्तीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 के प्रारम्भ होने के पश्चात की जाने वाली प्रथम भर्ती के लिए पात्र होंगे। यह परन्तुक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा प्रथम संशोधन नियमावली, 1998 के प्रारम्भ होने के पश्चात किये जाने वाले केवल प्रथम चयन में ही लागू होगा।			ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम–16 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
16	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया – (1) भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति			उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया – 16(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती

	का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा– 1–नियुक्ति प्राधिकारी 2–यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी 3– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें एक अधिकारी अल्पसंख्यक का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। (2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी। (3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन समिति नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए		के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देगा। (2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे। (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हों। (4) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व

	आमंत्रित करेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किए गए अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड दिए जायेंगे।		सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच गये हों।
(4)	चयन समिति अभ्यर्थियों की, उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।		साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किए गए अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड दिया जायेगा।
		(5)	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति के लिए उचित समझे जायें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि दो या अधिक

				अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सूची निदेशक को अग्रसारित करेगा जो नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को नाम भेजेगा।

नियम–20 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में नियम–20 में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम–(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
(1)	सेवा में किसी पद या किसी स्थाई रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति किसी व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	(1)	सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परिशिष्ट 'क' का संशोधन

5. उक्त नियमावली में परिशिष्ट 'क' के, समूह–तीन में स्तम्भ–1 में दी गयी क्रम संख्या–1 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी प्रविष्टियॉ रख दी जायेंगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रविष्टियाँ

समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान रूपये में	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	विकास (क)	सहायक कृषि निरीक्षक	95	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			फार्म अधीक्षक	93	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			पौध संरक्षण पर्यवेक्षक	47	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			सहायक मृदा संरक्षण निरीक्षक	1810	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			सहायक मृदा संरक्षण निरीक्षक (वानिकी)	9	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			क्षेत्र सर्वेक्षक एवं लैब सहायक	2	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			क्षेत्र सहायक	40	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			मृदा परीक्षण सहायक	113	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)

			फील्डमैन	4	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			ऋतु वेधशाला एवं लैब सहायक	12	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			क्षेत्र अनुयायी	7	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			अनुसंधान सहायक	29	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक (कमान)	634	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
		विकास(ख)	किसान सहायक	7394	975–25–1150–द.रो.30–1660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सरकार के अधीन किसी कृषि महाविद्यालय से कृषि प्रसार में वर्ष 1987 तक प्राप्त किया दो वर्षीय डिप्लोमा भी सीधी भर्ती के लिए अर्ह होगा।	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती	उप कृषि निदेशक (प्रसार)
			कुल योग	10289				

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियॉ

समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदों की सं0	वेतनमान रूपये में	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	——	प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (न्याय पंचायत स्तर)	8135	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (सिचाई व्यवस्था)	17	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन)	17	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (कृषि निवेश/पौध रक्षा)	813	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (मृदा परीक्षण)	96	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)

			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (शोध)	52	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (मृदा सर्वेक्षण)	40	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (प्रक्षेत्र)	17	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			प्राविधिक सहायक, समूह "ग" (मृदा संरक्षण)	1344	5200–20200 वेतन बैण्ड–1 +रूपये 2000 ग्रेड वेतन	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक (कृषि)
			कुल योग	10531				

टिप्पणी –स्तम्भ–5 में उल्लिखित पदों की संख्या और स्तम्भ–6 में उल्लिखित वेतनमान, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 के प्रारम्भ के समय क्रमशः विद्यमान पदों की संख्या और वेतनमान हैं।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।